

2116

पञ्जाब की आज दिनांक 21.11.2016 को
 डिप्टी गवर्नर के कार्यालय पर पेश हुई।
 डिप्टी गवर्नर को वकील उपस्थित। रिकॉर्ड के
 खं. नं. 2 के वकील उपस्थित। डिप्टी गवर्नर
 को उसके वकील ने कार्यालय पेश
 कर जाहिर किया कि उक्त प्रकरण में
 डिप्टी गवर्नर व रिकॉर्ड के मध्य जो विवाद
 था, उसे डिप्टी सचिव से सुलझा
 दिया है; हमारे कथ्य राजीनामा हाउस को
 इस लिये उक्त डिप्टी को डूकी कर
 ए जाहिर राजीनामा विज्ञो क (बाना
 पाते ए डिप्टी जाहिर राजीनामा विज्ञो
 खारिज किया जाए।

इस पर हमने डिप्टी गवर्नर एवं दोनों पक्षों के
 अधिवक्ताओं को सुना एवं पञ्जाब को का
 ध्यान पूर्वक ठिक ठिक किया। डिप्टी गवर्नर ने
 यह डिप्टी रिकॉर्ड के विरुद्ध मॉज
 हाउस के खं. नं. 401 रकबा 137 बीघा 13
 विरुद्ध, जगम सावलासर के खं. नं. 477

श्रीमती ए. ए. ए.

श्री. श्री. श्री.

श्री. श्री. श्री.

L.T.
दुपहरा

Handwritten signature and initials.

ADN.
रेकॉर्ड

नम्बर व
अहकाम ज
हुकम की ता
में जारी हुए

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रकबा 9 बीघा 15 चिरवा एवं ग्राम मछोदेव
मंडिर के रासरा नंबर 448 रकबा 54 बीघा
के किये गये विभाजन के विरुद्ध धारा
225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत
हमारे समक्ष पेश ही व यूटिलि पक्ष कारण
के विपक्ष में राजीनामा होना चाहिए
किया है और अपील को ठीक चलाया
नहीं जा सके है, बिना कला चालने व
इस प्रकार रेस्पॉण्ड के वकील को कोर्ट
एतरफ नही व लिहाज अपीलॉट की
अपील जरिये बिना खारिज की जाती है
ठिकी सुनाया गया | पत्रावली फेसल सुकार
होकर वाद तफतील शरिफ इकर है।

अपर कलक्टर वाइमेर
(ए.डी.एम.)